

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक:— सं०सं०-03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति)-02/2015..... /

पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी मद में अतिरिक्त कुल ₹10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश :-**स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-2059, दिनांक-11.06.2018 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति हेतु सब्सिडी मद में अतिरिक्त कुल ₹10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र के व्यय एवं निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-2060, दिनांक-11.06.2018 एवं आवंटन सं०-05/DI-B(Allotment)-16/2018, order no-1480, दिनांक-13.06.2018 द्वारा विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में प्राप्त स्वीकृत/आवंटित ₹18475.00 लाख (एक सौ चौरासी करोड़ पचहत्तर हजार) मात्र के विरुद्ध अबतक ₹22,18,67,745.00 (बाईस करोड़ अठारह लाख सड़सठ हजार सात सौ पैतालीस) मात्र व्यय की गयी है तथा शेष ₹162,56,32,255 (एक सौ बासठ करोड़ छप्पन लाख बत्तीस हजार दो सौ पचपन) मात्र में से ₹10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र बचत है, को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 एवं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 अन्तर्गत वैट/प्रवेश कर एवं जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति मद में व्यय एवं निकासी की जायेगी।

3. उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-4293, दिनांक-04.12.2018 द्वारा ₹10000.00 लाख (एक सौ करोड़) मात्र प्रत्यार्पित की गयी है। उक्त प्रत्यार्पित राशि को वैट/प्रवेश कर/जी०एस०टी० मद में प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त राशि के रूप में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह एक चालू योजना है। उपलब्ध करायी गयी राशि का 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

5. इस योजना के अंतर्गत इकाई द्वारा जमा की गई वैट की राशि/प्रवेश-कर/जी०एस०टी० की राशि पर कार्यरत एवं नयी औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यकर विभाग द्वारा वैट प्रतिपूर्ति/प्रवेश-कर/जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति देय है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अन्तर्गत उक्त मद में राशि की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य की औद्योगिक इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर वैट/जी०एस०टी० मद में जमा राशि के अनुसार वाणिज्य-कर विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके लिए आवश्यक निधि उद्योग विभाग द्वारा वित्त-वाणिज्य-कर विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

6. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2352 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80- सामान्य, लघु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, माँग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसके लिये यथेष्ट राशि उपलब्ध है।

क्रमशः पृष्ठ-02...

7. वैट/प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति के लिए उद्योग विभाग को ऑनलाईन द्वारा प्राप्त आवेदन पर समुचित जॉचोपरान्त कार्रवाई करते हुए इसकी सूची वाणिज्य कर विभाग को उपलब्ध करायेगी। वाणिज्य कर विभाग उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में जॉचोपरान्त वैट/प्रवेश कर एवं जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
8. वैट की प्रतिपूर्ति/प्रवेश कर/जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत राशि का आवंटन वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना को की जायेगी जो इसे आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अंचलों को उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के आलोक में उप आवंटित करेंगे।
9. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग होंगे जो वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन के आधार पर संबंधित जिला कोषागार से राशि की निकासी करेंगे। राशि की निकासी वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक बिक्री-कर/संशोधन-05/2006-88/CCI पटना, दिनांक 21.09.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक 8:244 दिनांक 02.08.10 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 वि0 दिनांक-20.05.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के अनुरूप की जाएगी।
11. इस योजना अंतर्गत वैट/प्रवेश कर/जी0एस0टी0 की जमा राशि की प्रतिपूर्ति के लिए योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना होंगे।
12. उक्त स्वीकृत राशि योजना उद्ब्यय के अंतर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कोषागार से राशि की निकासी के लिए विपत्र कोड का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे।
13. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन संचिका संख्या-03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), -02/2015 के पृष्ठ-187/टि0 पर प्राप्त है।
14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या-03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), -02/2015 के पृष्ठ-196/टि0 पर प्राप्त है।
15. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:-7355/वि0(2), दिनांक: 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से  
ह0/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक-.....

ज्ञापांक:-...../  
03/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति), -02/2015

प्रतिलिपि-सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(प्रदीप कुमार)  
अपर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—..... /

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:—सभी जिला के वाणिज्य-कर अंचल प्रभारी, वाणिज्य-कर विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक—.....

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक—.....

ज्ञापांक:—..... /

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:— वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक—.....

ज्ञापांक:—..... /

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:— उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक—7-12-18

ज्ञापांक:— 4402 /

03/उ०नि०/योजना(औ०प्रो०नीति), -02/2015

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तक०, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी-1 (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा-2 (उ०नि०), उद्योग निदेशालय/प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना शाखा को तीन अतिरिक्त प्रतियों एवं प्रशाखा-3, उद्योग निदेशालय को तीन प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)

अपर सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।